

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 100

दिनांक 06.02.2025

अनवान :-

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
बिहारीराम वगैरा	बनाम	उम्मेदसिंह वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बावत ।

राजस्व आवेदन सं. 283/2024

दिनांक : 06.02.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बावड़ी कला के मौजा रूपनगर के खेत खसरा सं. 281/174 रकबा 05.4632 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई विन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है । प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।




क्रमांक/भू.अ./2025/ 101-104

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी बिहारीराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण उम्मेदसिंह वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

—sd—  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक 06.02.2025

  
(कुसुमलता चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन